



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र  
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  
Commission for Air Quality Management in  
National Capital Region and  
Adjoining Areas



No. A11011/1/2022-MERD/165 (DT)

Dated 03.08.2022

To,

1. The Member Secretary, UP Pollution Control Board.
2. The Member Secretary, Haryana Pollution Control Board.
3. The Member Secretary, Rajasthan Pollution Control Board.

**Subject: Use of biomass fuels for industrial applications in NCR.**


Sir,

The Commission through various Directions viz. 53, 62 and 63 dated 04.02.2022, 17.03.2022 and 18.05.2022 respectively, considering various relevant aspects related to emissions from industrial fuels, have already permitted biomass fuels for industrial applications in NCR (beyond the jurisdiction of GNCTD). This has been further supplemented through statutory Direction No. 65 dated 23.06.2022 communicating a standard list of approved fuels for NCR.

2. "Biomass Fuels" in the broader sense encompass all types of biomass that can be utilized for deriving suitable calorific value in industrial operations in boilers, furnaces etc. Such biomass fuels include agriculture crop residues straw, husk etc. and have been stipulated under a broader classification. In specific reference to plywood manufacturing units located in the NCR, beyond jurisdiction of NCT of Delhi, wood processing wastes such as wooden chips/ waste wood/ saw dust etc. generated during the manufacturing process may also accordingly be considered and permitted to be used under the broader category of "biomass fuels".

3. Representations / requests for amendment in the CTO by such units may accordingly be considered by the respective State Pollution Control Boards in the NCR.

4. The above also disposes of the MoEFCC reference No. Q-16017/63/2022-CPA dated 06.07.2022.

  
03/08/2022

(R.K. Agrawal)

Director, CAQM

E-mail: [rk.agrawal69@gov.in](mailto:rk.agrawal69@gov.in)

011-23446806

**Copy to:**

1. The Addl. Secretary, CP Division, MoEFCC.
2. The Member Secretary, CPCB.
3. Delhi-NCR Plywood Manufacturer Association, Delhi.

17 वी मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस. टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23701213, ई-मेल : [caqm-ncr@gov.in](mailto:caqm-ncr@gov.in)

17<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg, New Delhi-110001

Tel:011-23701213, E-mail: [caqm-ncr@gov.in](mailto:caqm-ncr@gov.in)

प्रति,

1 सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश हरियाणा एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

**विषय:** एनसीआर में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बायोमास ईंधन का उपयोग।

श्रीमान,

आयोग विभिन्न निर्देशों के माध्यम से अर्थात् 53, 62 और 63 दिनांकित 04.02.2022, 17.03.2022 और 18.05.2022 क्रमशः, औद्योगिक ईंधन से उत्सर्जन से संबंधित विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए, एनसीआर (जीएनसीटीडी के अधिकार क्षेत्र से परे) में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बायोमास ईंधन की अनुमति पहले ही दे दी है। एनसीआर के लिए अनुमोदित ईंधनों की एक मानक सूची को संप्रेषित करते हुए सांविधिक निदेश संख्या 65 दिनांक 23.06.2022 के माध्यम से इसे और पूरक बनाया गया है।

2. व्यापक अर्थ में "बायोमास ईंधन" में सभी प्रकार के बायोमास शामिल हैं जिनका उपयोग बाँयलरों, भट्टियों आदि में औद्योगिक संचालन में उपयुक्त कैलोरी मान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे बायोमास ईंधन में कृषि फसल अवशेष पुआल, भूसी आदि शामिल हैं और इसके तहत एक व्यापक वर्गीकरण निर्धारित किया गया है। एनसीआर में स्थित प्लाईवुड निर्माण इकाइयों के विशिष्ट संदर्भ में, एनसीटी दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से परे, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न लकड़ी के चिप्स / बेकार लकड़ी / साँ डस्ट आदि जैसे लकड़ी प्रसंस्करण कचरे को भी तदनुसार माना जा सकता है और इसे "बायोमास" की व्यापक श्रेणी ईंधन" तहत उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

3. ऐसी इकाइयों द्वारा सीटीओ में संशोधन के लिए अभ्यावेदन/अनुरोधों पर तदनुसार एनसीआर में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

4. उपरोक्त एमओईएफसीसी संदर्भ संख्या क्यू-16017/63/2022-सीपीए दिनांक 06.07.2022 का भी निपटान करता है।

RK Agarwal

निदेशक, सीएक्यूएम

ई-मेल: r\_k.agrawal69@gov.in

011-23446806

को कॉपी:

1. अतिरिक्त। सचिव, सीपी डिवीजन, एमओईएफसीसी।
2. सदस्य सचिव, सीपीसीबी।
3. दिल्ली-एनसीआर प्लाईवुड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, दिल्ली।